

अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्णरूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा-निर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन व पुलिस उपाधीक्षक गोला के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री गौरव राय कन्नौजिया के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 रामजी गुप्ता मय हमराह के मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त योगेन्द्र द्वारा अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व निष्कर्षण के सम्बंध में प्राप्त सूचना पर मौके पर पहुंच कर मय माल के आज दिनांक 08.08.2022 को समय 03.40 बजे ग्राम नरगड़ा शिवदत्त सिंह का दियरा क्षेत्र के पास गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/2022 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर बनाम योगेन्द्र पुत्र झिनकू निवासी रापतपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर उम्र करीब 40 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

योगेन्द्र पुत्र झिनकू निवासी रापतपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी -

एक प्लास्टिक के जरिकेन में करीब 20 ली0 अपमिश्रित कच्ची शराब, 200 ग्राम नौसादर, व 01 किग्रा यूरिया खाद, शराब बनाने के उपकरण एक स्टील ड्रम व एक अदद एल्यूमिनियम का बड़ा पतीला

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 192/2022 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 08.08.2022 को समय 03.40 बजे ग्राम नरगड़ा शिवदत्त सिंह का दियरा क्षेत्र थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण

1. उ0नि0 श्री रामजी गुप्ता थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
2. का0 दीपक यादव थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
3. का0 सर्वेश यादव थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
4. का0 विपिन यादव थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
5. का0 धीरेन्द्र यादव थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर